झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन, एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)
कार्यालय– जिला कृषि पदाधिकारी, पाकुड़

पता–जिला संयुक्त कृषि भवन, प्रखण्ड परिसर, पाकुड, पिन कोड–816107, झारखण्ड

EXPRESSION OF INTEREST (इच्छा की अभिव्यक्ति) हेतु अल्पकालीन सूचना

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सचिव ,कृषि ,पशुपालन ,एवं सहकारिता विभाग झारखण्ड, रॉची के राज्यादेश सं0 –49 दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन में राज्य योजनान्तर्गत जिला में अनुमंडल स्तर पर एग्री क्लीनिक की स्थापना हेतु एजेंसियों/संस्थाओं/महिला समूह/स्वंय सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) को मोहर बंद सील लिफाफे में EoI आमंत्रित की जाती है। इस हेतु आवेदन दिनांक 26.12.2024 अपराह्न 04.00 बजे तक कार्यालय में जमा किये जा सकतें है।

एग्री क्लीनिक केन्द्र में उपलब्ध कराये जानेवाले सुविधाओं से संबंधित विवरण :–

क्र0	उपलब्ध सेवा	कृषक के द्वारा की जाने वाली कारवाई	एग्री क्लीनिक सेंटर द्वारा की जानेवाली कारवाई	अभ्युक्ति
1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	खेत का स्पष्ट विवरण के साथ आवेदन।आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषकमित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जॉच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	कृषक के आवेदन पत्र की पावती कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
2	किसान क्रेडिट कार्ड	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित KCC आवेदन को जॉचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।	कृषक के आवेदनपत्र की पावती कृषक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
3	बीज खाद कीटनाशी	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषक की मांग के अनुसार/खाद/बीज के लिए तदनुसार टोकन संबंधित लैम्पस/पैक्स को निर्गत किया जायेगा। टोकन पर राज्य सरकार द्वारा बीज पर दिये जानेवाले अनुदान के आधार पर दर का स्पष्ट उल्लेख रहेगा।	खाद/बीज कृषक के कृषि योग्य भूमि के अनुपातिक दिये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

4	सूक्ष्म सिंचाई	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी / प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा Jharkhand pdmc.com के साइट पर ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा।सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।	ऑनलाइन आवेदन की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
5	कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति	ऑनलाइन आवेदन	संपर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
6	कृषि उपकरण	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषकों के माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी एवं संबंधित स्वयं सहायता समूह जहाँ कृषि उपकरण उपलब्ध होगा से कृषि उपकरण उपलब्ध कराने हेतु टोकन निर्गत किया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
7	खेती हेतु सलाह	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
8	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जॉचोपरान्त संबंधित बीमा कम्पनी को स्वीकृति हेतु भेजी जायेगी एवं स्वीकृति के उपरान्त इस आशय की सूचना कृषकों को दी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
9	सिंचाई सुविधा	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/ कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीपबोरिंग, बिरसा पक्का चेकडैम, परकोलेशन टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।

			में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।	
10	कृषि / पशुपालन / डेयरी / मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	कृषि / पशुपालन / डेयरी / मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ / नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ / प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ / विभिन्न कृषि मेला / प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएँ आदि कृषकों **की** माँग पर उपलब्ध **करायी जायेगी।**	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
11	पशुपालन / डेयरी / मत्स्य पालन संबंधित योजनाएँ	विहित प्रपत्र में आवेदन। आवेदन पत्र में कृषक के आधार नं0 का उल्लेख रहेगा।	पशुपालन / डेयरी / मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एव स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।	आवेदन पत्र की पावती कृषक को उपलब्ध कराई जायेगी।
12	कृषि उत्पादों का दैनिक दर संबंधी विवरण का प्रदर्शन		राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों / अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्रीक्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।	

एग्री क्लीनिक की कार्यप्रणाली–

1. एग्री क्लीनिक प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध करायेगी। एग्री क्लीनिक की कार्य अवधि प्रतिदिन 9:00 बजे पूर्वाहन् से 5:00 बजे अपराह्न तक की होगी। कृषकों के आगमन के उपरांत उनके आवश्यकता के अनुरूप ऊपर दिये गए तालिका के अनुसार आवेदन पत्र हेतु प्रपत्र / लेखन सामग्री सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उक्त आवेदन को एग्री क्लीनिक में जमा करने के पश्चात पावती रसीद कृषकों को दी जाएगी एवं ऊपर दिये गए विवरणी के अनुसार कारवाई की जायेगी। इस संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा एक रजिस्टर का संधारण किया जायेगा जिसमें एग्री क्लीनिक में आनेवाले कृषकों की पूरी जानकारी उददेश्य एवं कृत कार्रवाई संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।

2. एग्री क्लीनिक में मिनी स्वॉयल टेस्टींग लैब के साथ–साथ अन्य आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

पात्रता मापदंड –

1. इच्छुक संस्था/एजेंसी संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए और 01.01.2024 तक 03 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में होनी चाहिए।
2. पिछले 03 वर्षों का लेखा रिकार्ड लेखा परीक्षित होना चाहिए।
3. इच्छुक संस्था/एजेंसी को एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किए जानेवाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. संबंधित संस्था को एग्री क्लीनिक सेंटर चलाने के लिए पर्याप्त मानव बल/विशेषज्ञ होना अनिवार्य है।

तकनीकी प्रस्ताव –

1. इच्छुक संस्था को पिछले 03 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा।
2. संबंधित संस्था को सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा Black Listed नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र नोटरी से शपथ पत्र/हलफनामा संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. इच्छुक संस्था को 10000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पाकुड़ के नाम सुरक्षित राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. इच्छुक संस्था/एजेंसी का एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत किये जानेवाले कार्यों/कृषि कार्यों में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. संस्था/एजेंसी का पैन कार्ड का स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति।
6. इच्छुक संस्था/एजेंसी का संबंधित अधिनियम के तहत पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र एवं Byelaws.
7. एग्री क्लीनिक दल की संरचना हेतु योग्यता, विशेषज्ञ और क्षमता सहित कर्मियों की सूची।

वित्तीय व्यवस्था –

1. प्रति एग्री क्लीनिक सेंटर के लिए अधिकतम 7.00 लाख रूपये आवंटित हैं।

दल की संरचना (Team Composition) –

1. एग्री क्लीनिक के अन्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा जो टीम उपलब्ध कराया जायेगा, उसमें कुल तीन सदस्य होंगें, जिसमें एक कर्मी की न्यूनतम योग्यता B.Sc. (Agri) तथा अन्य दो कर्मियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ कम्प्यूटर दक्षता (न्यूनतम DCA) अनिवार्य है। प्रत्येक कार्य दिवस पर तीनों सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इनकी कार्य–अवधि सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे होगी। रविवार एवं N.I. Act के तहत घोषित छुट्टियों में एग्री क्लीनिक बंद रहेगा।

2. एग्री क्लीनिक में प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के साथ प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष, जनसेवक आदि के अतिरिक्त पशुपालन, मत्स्य, गव्य, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेंटर पर रोस्टर के अनुसार सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक उपस्थित रह कर कार्य सम्पादन में सहयोग करेंगे।

एग्री क्लीनिक के कार्य–

- कृषक के खेत से मिट्टी नमूना प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वॉयल टेस्टिंग लैब में जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।

- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा समर्पित KCC आवेदन को जॉचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जायेगा एवं किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात् संबंधित कृषक को इस आशय की सूचना दी जायेगी।
- कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा Jharkhandpdmc.com के साइट पर ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। सूक्ष्म सिंचाई की स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाईल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होगी।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा एवं अनुज्ञप्ति निर्गत होने के उपरांत कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- कृषक की माँग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी।
- मौसम की भविष्यवाणी एवं तद्नुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा कृषक के कृषि योग्य भूमि एवं उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा में विस्तार हेतु विभागीय योजनाओं यथा सरकारी तालाबों का गहरीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु डोभा निर्माण, डीपबोरिंग, बिरसा पक्का चेकडैम, परकोलेशन टैंक, सौर ऊर्जा संचालित पम्प सेट में से आवश्यकता आधारित योजना के लाभ हेतु भूमिसंरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करेंगे एवं स्वीकृति उपरांत इस आशय की सूचना कृषक को उपलब्ध करायेंगे।
- कृषि/पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/नई योजनाओं संबंधी सूचनाएँ/प्रत्यक्षण संबंधी आवश्यक सूचनाएँ/विभिन्न कृषि मेला/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि से संबंधित सूचनाएँ कृषकों को उपलब्ध कराना/जागरूक करना।
- पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में लाभ हेतु आवेदन पत्र कृषकों से प्राप्त कर संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा एवं स्वीकृति उपरांत इसकी सूचना कृषक को उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य अंतर्गत विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना एग्री क्लीनिक के सूचना पट्ट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

नोट

- कार्य स्थल पाकुड़।
- चयनित एजेंसी/संस्था के साथ एक वर्ष के लिए MOU किया जायेगा।
- चयन कमिटी इस इच्छा की अभिव्यक्ति को किसी भी स्तर पर रद्ध करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालीय क्षेत्र पाकुड़ होगा।
- एग्री क्लीनिक का संचालन चयनित एजेंसियों/संस्थाओ के द्वारा किया जायेगा, जिसमें महिला समूह/स्वयं सहायता समूह/कृषक समूह/सहकारी समितियॉ/गैर सरकारी संस्थायें (NGOs) भी हो सकते हैं।
- चयनित संस्था को छोड़कर शेष सभी फर्मो का EMD की राशि का Bank Draft वापस कर दी जाएगी।

- इच्छुक एजेंसी/संस्था अपना आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी, पाकुड़ के नाम से दिनांक 26.12.2024 तक जिला कृषि कार्यालय, पाकुड़, संयुक्त कृषि भवन, प्रखण्ड परिसर, पाकुड़ में जमा कर सकते हैं।

06/12

जिला कृषि पदाधिकारी,
पाकुड़।